Dr. Shyam Shankar
Associate Professor
Deptt. of Political Science
Raja Singh College, Siwan

PDF NOTES FOR BA (HONS.) Part - I

नागरिकता प्राप्त करने एवं खोने के आधार

राजनीतिक सिद्धान्त के अन्तर्गत नागरिकता किसी व्यक्ति के किसी राज्य का निवासी होने के कानूनी दर्जा को ही नही बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया में उसकी समान सहभागिता को स्पष्ट करना है।

यदि कोई व्यक्ति राज्य में निवास करता है तो उन सभी को उस राज्य का निवासी कहा जा सकता है नागरिक नही। नागरिक होने के लिए उसे उस राज्य द्वारा वैधानिक तौरपर कुछ अधिकार दिये जाते हैं तथा उसे कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है। नागरिकता का इतिहास काफी पुराना है लेकिन पहले सभी को नागरिकता प्राप्त नही होती थी। सार्वभौमिक नागरिकता के सिद्धान्त का प्रचलन 20 वीं एवं 21 वीं सदी में हुआ है। विभिन्न देशो में नागरिकता हासिल करने एवं खोने या त्यागने के संबंध में कई आधारो पर निर्णय या नियम लागू किये जाते हैं।

सबसे पहले हम नागरिकता पाने के आधारो पर चर्चा करेंगे—

1. दीर्घकालीन निवास— यदि कोई व्यक्ति लम्बे समय तक अथवा उस राज्य द्वारा निर्धारित अवधि तक निवास करता है तो वह उस देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन दे सकता है। किसी व्यक्ति को नागरिकता देना या न देना उस राज्य पर निर्भर करता है। ब्रिटेन और अमेरिका में यह अवधि 5 वर्षों की है जबकि फ्रान्स में यह 10 वर्षों की है। ब्रिटेन में निवास अवधि के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी जरूरी है।

2. विवाह- अगर कोई महिला किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसे अपने पति के राज्य की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। लेकिन यदि कोई जापानी महिला किसी विदेशी पुरुष से शादी भी कर लेती है तो भी उसकी जापानी नागरिकता पूर्ववत कायम रहती है। उसका पति भी जापानी नागरिकता पाने का

हकदार बन जाता है।

3 विजय या हस्तान्तरण द्वारा — यदि कोई राज्य किसी दूसरे राज्य को जीत लेता या उसे अपने अधीन कर लेता है तो वहाँ के लोगों को स्वत: विजयी राज्य की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।

इसके अलावे कुछ देशों में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति उस देश में अचल संपत्ति अर्जित कर लेता है तो उसे उस राज्य की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। मेक्सिको, पेरू आदि में ऐसा ही नियम लागू है। इसी प्रकार अमेरिकी सेना में यदि कोई विदेशी भर्ती हो जाता है तो उसे भी वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।

नागरिकता खोने या समाप्त करने के भी कई आधार है —

1. स्वेच्छा से - जब कोई व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो स्वेच्छा से वह पूर्व राज्य की अपनी नागरिकता छोड़ सकता है।

2. विवाह द्वारा — यदि कोई महिला किसी विदेशी पुरुष से शादी कर लेती है तो वह अपनी मूल नागरिकता से वंचित हो जाती है। लेकिन कुछ देशों में ऐसा नहीं है जैसे जापान, इटली आदि।

इसके अलावा भी यदि कोई व्यक्ति लम्बे समय से अपने राज्य से अनुपस्थिति की स्थिति में अपनी नागरिकता खो सकता है। इसके अलावे राज्य कानून के आधार पर भी किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकता है जैसे, देश द्रोह के आरोप साबित होने पर, विदेशों में सेवा करने वाले, विदेशी सेना में भर्ती होने वाले तथा पागल अथवा दिवालिया घोषित व्यक्ति की नागरिकता राज्य समाप्त कर सकती है।

भारत के संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रचलन है और वहाँ केन्द्र और राज्य दोनों की नागरिकता प्रदान की जाती है।

भारत में नागरिकता संबंधी यह व्यवस्था की गई है कि संविधान लागू होते समय ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो अथवा संविधान लागू होने के पहले 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, वह भारत का नागरिक होगा। विदेश में रहने वाले भारतीय जिसने विदेशी नागरिकता हासिल न की हो वे भी भारत के नागरिक बने रहेंगे।

Scanned with CamScanner